vinetur

Deutsche Bahn का कहना है कि स्टेशनों पर शराब प्रतिबंध से पहले महीने में झड़पें घटीं

रेल ऑपरेटर के मुताबिक, पहले महीने में सुरक्षा कर्मचारियों ने 15,000 से अधिक यात्रियों से बात की ; कंपनी का कहना है कि 80% लोग नियम का समर्थन करते हैं

शनिवार, 14 नवंबर 2026



Deutsche Bahn ने शनिवार को कहा कि रेलवे स्टेशनों पर देशव्यापी शराब प्रतिबंध के पहले महीने में कचरा कम हुआ, झड़पें घटीं और यात्रियों तथा कर्मचारियों के लिए माहौल बेहतर हुआ है। कंपनी के मुताबिक, यह उस उपाय का शुरुआती समर्थन है जिसे जर्मनी में समर्थन और आलोचना, दोनों मिले हैं।

Deutsche Bahn की एक प्रवक्ता ने कहा कि 15 अक्टूबर को नियम लागू होने के बाद से कंपनी के सुरक्षा कर्मचारियों ने स्टेशनों पर शराब साथ रखने या पीने वाले 15,000 से अधिक लोगों से बात की है। उनके मुताबिक, ज्यादातर मामलों में लोगों ने बोतल रख दी या स्टेशन से चले गए। केवल कुछ ही मामलों में लोगों को परिसर छोड़ने का आदेश देना पड़ा।

यह प्रतिबंध पूरे जर्मनी में स्टेशन के मुख्य हॉल और प्लेटफॉर्म पर लागू है, लेकिन स्टेशनों के भीतर मौजूद रेस्तरां और खानपान के अन्य प्रतिष्ठानों में नहीं। Deutsche Bahn का कहना है कि भारी आवाजाही वाले सार्वजनिक स्थानों पर तनाव घटाने और सुरक्षा बेहतर करने के लिए यह उपाय किया गया है।

कंपनी ने कहा कि नियम लागू कराने की जिम्मेदारी DB Sicherheit की टीमों ने संभाली है, जबकि किसी टकराव के बढ़ने

पर ही संघीय पुलिस को बुलाया जाता है। Deutsche Bahn ने यह भी कहा कि उसने सुरक्षा कर्मचारियों की संख्या पिछले साल के 4,500 से बढ़ाकर 5,000 कर दी है।

कंपनी के मुताबिक, यात्री भी इस नीति का समर्थन करते हैं। प्रवक्ता ने कहा कि हाल के एक प्रतिनिधिक सर्वेक्षण में 80% प्रतिभागियों ने स्टेशनों पर शराब पीने पर प्रतिबंध का समर्थन किया। Deutsche Bahn ने शनिवार को उद्धृत शुरुआती सारांश में इसके आगे कोई विवरण जारी नहीं किया।

Deutsche Bahn ने कोलोन, म्यूनिख और हैम्बर्ग सहित करीब 40 स्टेशनों पर इसी तरह की पाबंदियों का परीक्षण करने के बाद देशव्यापी नियम लागू किया। प्रतिबंध को पूरे नेटवर्क में लागू करने से पहले कंपनी इन पायलट कार्यक्रमों को सफल बता चुकी थी।

ये पाबंदियां स्टेशन के प्रवेश-द्वार तक ही लागू हैं। ट्रेनों में शराब पीने के नियम सेवा के अनुसार अब भी अलग-अलग हैं। क्षेत्रीय ट्रेनों में नीतियां इलाके के हिसाब से बदलती हैं। लंबी दूरी की ट्रेनों में आम तौर पर शराब पीने की अनुमति है, बशर्ते यात्री दूसरों का ध्यान रखें।

यह नीति जर्मनी के सबसे बड़े यात्रा-खुदरा क्षेत्रों में से एक को प्रभावित करती है और रेल यात्रियों से जुड़ी शराब की बिक्री पर असर डाल सकती है, खासकर उन दुकानों और अन्य कारोबारों पर जो सफर कर रहे लोगों को सेवाएं देते हैं। वहीं, स्टेशन के रेस्तरां और इसी तरह के प्रतिष्ठानों को मिली छूट का मतलब है कि बीयर, वाइन और स्पिरिट की बिक्री पर सीधा असर अलग-अलग कारोबारों के लिए अलग हो सकता है।

यह उपाय लागू होने से पहले आलोचकों ने चिंता जताई थी। बेघर लोगों की सहायता के लिए संघीय कार्यसमूह ने चेतावनी दी थी कि प्रतिबंध से उन लोगों की मूल स्थिति नहीं बदलेगी जो स्टेशन पर समय बिताते हैं, बल्कि वे नजरों से ओझल हो सकते हैं। समूह के उप-प्रबंध निदेशक योआखिम क्राउस ने उस समय कहा था कि बेघर लोगों को ऐसे इलाकों में जाने के लिए मजबूर किया जा सकता है जहां सुरक्षा कम हो और सहायता सेवाओं से संपर्क के अवसर भी सीमित हों।

जर्मनी के स्टेशन मिशन नेटवर्क ने भी ऐसी ही चिंताएं जताईं। उसने कहा कि वह आम तौर पर शराब प्रतिबंध का समर्थन करता है, लेकिन उसे आशंका है कि समस्याएं स्टेशन परिसर से हटकर आसपास के इलाके में जा सकती हैं।

नीति लागू रहने और इसके प्रभावों पर अधिक आंकड़े सामने आने के साथ इस बहस के जारी रहने की संभावना है। फिलहाल, Deutsche Bahn पहले महीने को सफल बता रही है और इसे इस बात का प्रमाण मान रही है कि अपेक्षाकृत कम टकराव के साथ बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लागू किया जा सकता है।